कार्यालय कलेक्टर (जिला परियोजना आजीविका महाविद्यालय), **जिला धमतरी**
E-mail:- dlivedmt@gmail.com PH.NO. 07722-232509

क्रमांक / 989 /जि.पं. / CSSDA / 2015–16 धमतरी, दिनांक 16/11/2015

प्रति,

....
....

——000——

कृपया उपरोक्त विज्ञापन को आपके समाचार पत्र के प्रादेशिक पृष्ट प्रकाशित करने का कष्ट करेंगें।

विज्ञापन का प्रारूप

कार्यालय कलेक्टर (जिला परियोजना आजीविका महाविद्यालय), **जिला धमतरी**
E-mail:- dlivedmt@gmail.com PH.NO. 07722-232509

रिक्त पद की अधिसूचना (संविदा)

1. लेखापाल – 01 पद अनारक्षित (जिला कार्यालय हेतु)
2. कार्यालय हेल्पर – 01 पद अनुसूचित जन जाति (जिला कार्यालय हेतु)

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जिला धमतरी हेतु उपरोक्त संविदा पदों हेतु आवेदन दिनांक 21.12.2015 शाम 5.00 बजे तक कर्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी , सिविल कोर्ट के सामने, पुराना ग्रंथालय धमतरी में आमंत्रित किये जाते हैं।

वेबसाईट WWW.splc.cgstate.gov.in एवं www.dhamtari.gov.in से भर्ती की शर्तों एवं आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड किया जा सकता है।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज
जिला धमतरी छत्तीसगढ

कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज, धमतरी

वेब साईट – www.splc.cgstate.gov.in, www.cgstate.gov.in, www.dhamtari.gov.in

//संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन //

प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/लाई./पीए/2015 नया रायपुर, दिनांक 20.10.2015 के माध्यम से जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी कार्यालय हेतु **लेखापाल (संविदा)** एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-80/2014/तक.शि./42 नया रायपुर दिनांक 07.07.2014 एवं राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज के पत्र क्रमांक/SPLC/स्था.14/2014-15/101 रायपुर दिनांक 01.10.2014 के माध्यम से मानव संसाधन योजना द्वारा अनुमोदन उपरांत छत्तीसगढ़ शासन के संविदा भर्ती नियमानुसार जिला लाईवलीहुड कॉलेज परियोजना धमतरी हेतु कार्यालय हेल्पर (संविदा) 01 पद अनुसूचित जन जाति पद पर तीन वर्ष के संविदा नियुक्ति प्रक्रिया हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड ए.डी. या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अंतिम तिथि 21.12.2015 सायं 05:30 तक आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। अंतिम तिथि पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। भर्ती किए जाने वाले पदों की जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र.	पदनाम/ वर्ग /संविदा वेतन	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षाणिक योग्यता एवं अनिवार्य अनुभव	चयन प्रक्रिया एवं अंक विभाजन
1.	**लेखापाल– 01 पद (अनारक्षित) 30,000/– एक मुश्त**	1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कामर्स में न्यूनतम 50 प्रतिशत के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण या आई.सी. डब्ल्यू.ए. संस्थान की अंतिम परीक्षा उत्तीण एवं 2. छत्तीसगढ़ शासन की शासकीयया अर्द्धशासकीय संस्थान या केन्द्र/ राज्य शासन के सार्वजनिक	आवेदन जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी द्वारा विज्ञापन कर प्राप्त किए जायेगें। पात्र आवेदकों की कौशल परीक्षा आयोजित की जावेगी। लेखा संबंधी कार्यालयीन कार्यो के ज्ञान के मूल्यांकन हेतु कम्प्यूटर आधारित कौशल परीक्षा 50 अंकों की होगी। टेली संबंधी ज्ञान के लिए कौशल परीक्षा 40 अंकों की होगी, जिसे शासकीय पॉलीटेक्निक/शासकीय आई.टी.आई. द्वारा लिया जावेगा। कौशल परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग के आधार पर प्रावीण्यता सूची बनाई जावेगी तथा प्रत्योक आरक्षण प्रवर्ग के लिए पद की संख्या के 07 गुणा आवेदकों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा।जिला स्तर पर गठित चयन समिति ही साक्षात्कार समिति होगी, कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी स्वविवेक से साक्षात्कार समिति के अतिरिक्त रूप

		उपक्रम,निगम,मंडल में या पंजीकृत चार्टर्ड एकाउटेंट प्रतिष्ठान से लेखा संबंधी कार्य का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव ।	से विषय विशेषज्ञ नामांकित कर सकेगें। साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक 10 होंगे। कौशल परिक्षाओं एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर बनाई गई जिलेवार प्रावीण्यता सूची के आधार पर चयन किया जावेगा। प्रावीण्यता सूची से चयन हेतु अनारक्षित वर्ग के उम्मीद्वार को 60 प्रतिशत अथवार उससे अधिक एवं अनुसूचित जाति/अतसूचित जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवार को 50 प्रतिशत अंक का अथवा उससे अधिक प्राप्तांक (कौशल परिक्षाओं के प्राप्तांकों का योग) होने पर ही चयन हेतु पात्र माना जायेगा। चयन में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा। चयन सूची अनुमोदन हेतु कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी को प्रेषित की जायेगी। कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी चयन सूची को अनुमोदित अथवा निरस्त कर सकेगें।
2	**कार्यालय हेल्पर– 01 पद (अनुसूचित जन जाति) 10,000/– एक मुश्त**	1. केन्द्र अथवा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से दसवी न्यूनतम 60 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण, एवं 2. छत्तीसगढ़ राज्य शासन के शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा सार्वजनिक उपक्रम , निगम, मंडल में 1 वर्ष का अनुभव तथा एल.एम. व्ही. का स्थायी लायसेंस धारी हो।	राज्य कार्यालय के पदों हेतु राज्य स्तर पर तथा जिला कार्यालयों के पदो हेतु संबंधित जिला कार्यालय द्वारा विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए जायेंगें। पात्र आवेदकों की निर्धारित अर्हता के अंकों के आधार पर प्रावीण्यता सूची बनाई जायेगी। प्रत्येक आरक्षण प्रवर्ग के लिए पद की संख्या 07 गुणा आवेदकों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक 25 होंगे। आवेदक के एल.एम.व्ही. स्थाई लाईसेंसधारी होने पर 10 अंक बोनस दिया जावेंगें। साक्षात्कार के प्राप्तांक तथा बोनस अंक को जोड़कर बनाई गई प्रावीण्यता सूची के आधार पर चयन किया जायेगा। चयन में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा। राज्य कार्यालय के पदों पर चयन हेतु चयन सूची को अनुमोदन हेतु मुख्य कार्यापालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी को प्रेषित किया जायेगा, जो चयन सूची को अनुमोदित अथवा निरस्त कर सकेंगे। डीपीएलसी के पदों पर चयन हेतु चयन सूची को अनुमोदन हेतु कलेक्टर सह अध्यक्ष, डीपीएलसी को प्रेषित किया जायेगा, जो चयन सूची को अनुमोदित अथवा निरस्त कर सकेंगें।

नियम एवं शर्ते :–

1. संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9–1/2012/1–3 रायपुर दिनांक 17.01.2013 द्वारा जारी **छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।**

2. नियुक्ति की अवधि :– संविदा नियुक्ति सामान्यतः तीन वर्ष अथवा कम अवधि के लिए होगी। आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा। संविदा अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. संविदा पर नियुक्त अधिकारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा ताकि यदि आगामी वर्षो के लिये पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मुल्यांकन हो सके।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात् शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है, उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
5. पद हेतु आवेदन करने के लिये आयु सीमा :–

   (क) दिनांक 01.01.2015 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 30 वर्ष की आयु पुरी न की हो।

   (ख) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यार्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 27.09.2013 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु एक बार के लिए 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी।

   (ग) आयु सीमा में छूट की शर्ते :– निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :–

   1. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) का हो तो उच्चतम आयुसीमा में अधिकतम 05 वर्षो तक छूट दी जावेगी।
   2. महिला पात्र उम्मीदवारों की अधिकतम आयुसीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।
   3. विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा/महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छुट होगी।
   4. अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन पुरूस्कृत दंपत्तियों के सवर्ण पार्टनरों के मामले में उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।
   5. राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुन्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीणचंद्र भजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अथवा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित व्यक्तियों को उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष तक की छूट प्रदान की जावेगी।
   6. निःशक्त अभ्यर्थी को अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट की जावेगी – यह छूट छत्तीसगढ़ के जिला चिकित्सा मंडल अथवा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्थापित निःशक्त के उद्यमी पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर मध्यप्रदेश के अधीक्षक द्वारा प्रमाणित निःशक्त प्रत्याशी को ही दी जावेगी।

   (घ) ऐसे उम्मीदवारों को जो शासकीय कर्मचारी हो या रह चुके हों, अधिकतम आयु सीमा में भी नीचे उल्लेखित शर्तो के अध्यधीन तथा सीमा तक छूट दी जावेगीः–

   1. अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक, चाहे वह राज्य सरकार के अधीन नियमित कर्मचारी हो गया कार्यभारित अथवा आकस्मिकता से वेतन पाने वाला कर्मचारी हो या जो शासन द्वारा हाथ में ली गई किसी परियोजना में नियोजित किया गया हो, 38 वर्ष से अधिक आयु के न हो।

2. ऐसे अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो अपनी आयु में से उनके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं की योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

   स्पष्टीकरणः— शब्द छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो शासन की अथवा किसी संघटक इकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह तक निरंतर रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छटनी गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित कर दिया गया हो।

3. भूतपूर्व सैनिक की अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा पहले दी गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जावेगी, बशर्ते उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

   स्पष्टीकरण :— शब्द ''भूतपूर्व'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नालिखित प्रवर्गो से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक तीन वर्ष पूर्ण मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप अथवा कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित कर दिया गया हो :—

   i. ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे समय पूर्व निवृत्ति रियायतें के अधीन सेवामुक्त कर दिया गया हो।

   ii. ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे दुबारा भर्ती किया गया हो तथा (क) अल्पकालीन नियोजन पूर्ण होने
   (ख) भर्ती की शर्ते पूर्णकर देने पर सेवामुक्त कर दिया गया हो।

   iii. ऐसा अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवा मुक्त गया हो (जिसमें अल्पाधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी शामिल हैं)

   iv. ऐसा अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 06 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो।

   v. ऐसा सैनिक जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।
   से अलग कर दिय गया हो।

   vi. ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे इस आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे।

   vii. ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा

4. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रं. एफ1—2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 एवं क्रमांक एफ 1—2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायतकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिये 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी।

5. स्वयं सेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
6. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर, दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छुट दी जायेगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छुट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
7. अधिकतम आयु सीमा में छूट के लिये छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अद्यतन परिपत्रों के प्रावधान लागू रहेंगे।

6. **अधिकतम आयु सीमा :–** किसी भी उम्मीदवार को किसी भी आधार पर या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत भी शासकीय सेवा में प्रवेश **हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।**
7. आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगें।
8. कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिय नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, इस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें।
9. जिन आवेदकों की 02 से अधिक संताने हों, जिनमें से 01 का जन्म 26.01.2011 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें
10. चयनित आवेदकों को कार्य ग्रहण करने से पूर्व एग्रीमेंट एवं इंडेमिनिटी बॉण्ड भरना अनिवार्य है, जिसमें निर्धारित उपबंधो के आधार पर सेवाशर्ते लागू होगी।
11. चयन प्रकिया – विज्ञापित प्रत्येक पद के लिए आवेदक का चयन उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार किया जावेगा।
12. प्राप्त आवेदनों के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता के आदेशानुसार बनाई गई परीक्षण समिति/चयन समिति/मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
13. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं। सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
14. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें।
15. **अभ्यर्थियों को नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र दोनों प्रस्तुत करना होगा। इस पर चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।**
16. शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्वशासी संस्थानो में नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
17. आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव की जॉच कराई जायेगी, जॉच में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र अमान्य किया जायेगा तथा वैधानिक कार्यवाही क जावेगी। अतः असत्य जानकारी न दी जावे।
18. आवेदन पत्र प्रारूप के अनुसार ए–4 साइज आकार के कागज पर आवेदन करें। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से साफ–साफ अक्षरों में भरा जाना चाहिये। आवेदन पत्र में पासपोर्ट साईज का स्वयं सत्यापित रंगीन नवीनतम फोटो चिपकाना एवं स्वयं का पता

लिखा लिफाफा (5. रू. डाक टिकट के साथ 02 लिफाफा) संलग्न करना अनिवार्य है।

19. आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्र स्वयं का हस्ताक्षर कर सत्यापित किया जाता है।

20. आवेदक अपनी अर्हताएं, संबंधित अनुभव की जांच स्वयं कर लें एवं विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हताएं, अनुभव एवं शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। चयन एवं सेवा के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर आवेदन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जावेगा तथा आवेदक के विरूद्ध समुचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

21. **साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जानाः–** साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता की जांच की जाएगी।
    1. आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र । अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
    2. विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं से संबंधित अंकसूची।
    3. पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण–पत्र जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियॉ। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी को आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद के तिथि को जारी की गई उपाधि/अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।

22. **नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्रः–**
    1. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हो अथवा भारत सरकार अथवा उनके कसी उपक्रम की सेवा मे कार्यरत हो या राष्ट्रीकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हो तो वे आवेदन कर सकते है, परन्तु आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्त प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को ''अनापत्ति प्रमाण–पत्र'' सीधे जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसाइटी को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।
    2. यदि ऐसे अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के दौरान साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति अधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन की प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।
    3. यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करने में असफल रहते है, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसाईटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

23. **आपराधिक अभियोजनः–**

(A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:–

1. जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए चयन प्रक्रिया में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो
2. पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या
3. कसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो
4. फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो,
5. चयन के किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो,
6. साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियतिम या अनुचित साधन अपनाया हो
7. साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो।
8. साक्षात्कार संचालन में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीीिक क्षत पहुंचाई हो।
9. बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों का उलंघन किया हो
10. साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो।

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यार्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी:–

1. जिला परियोजना लाईलीहुड कॉलेज सोसायटी द्वारा उस चयन के लिए, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिया निस्त की जा सकेगी
2. उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा:–

   (a) जिला परियोजना लाईलीहुड कॉलेज सोसायटी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।

   (b) जिला परियोजना लाईलीहुड कॉलेज सोसायटी द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा।

   (c) यद वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंधन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी।
   परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्त तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि–
   (1) अभ्यर्थी को लखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो
   (2) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

24. अनर्हता:– **छत्तीसगढ़ सविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलखित अनर्हता होगी–**

1. कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नयुक्ति का पात्र नहीं होगा।

   परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
2. कोई भी ऐसे अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

   परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
3. कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए नियुक्ति के लिए पात्र नहीं था।
4. कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

   परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायलय में ऐसे मामले, लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।
5. कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा।
6. कोई भी अभ्यर्थी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उससे पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनरी, 2001 को या उससे पश्चात् हो जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

25. आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देशः–

1. शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता, अनुभव प्रमण पत्र, आयु, जाति आदि के प्रमाण हेतु संबंधित प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी अथवा स्वयं द्वारा अभप्रमाणित प्रतियॉ संलग्न करना आवश्यक है।
2. आवेदन में चाही गई जानकारियॉ सही भरी जावे।
3. अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी उनके लेटरपेड में जारी किये गए होना चाहिए।
4. आवेदक अपनी अर्हताए, संबंधित अनुभव की जांच स्वयं कर लें एवं विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हताए, अनुभव एवं शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन भेजे, चयन एवं सेवा के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर या

असत्य जानकारी आदि दिये जाने पर आवेदन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

5. आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव की जॉच कराई जायेगी, जॉच में किसी भी प्रकार से गलत जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र अमान्य किया जावेगा।
6. संपूर्ण चयन प्रक्रिया के दौरान सभी मामलों में नियोक्ता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
7. आवेदन के साथ सभी संलग्न सहपत्रों का अनिवार्य रूप से अलग से एनेक्सर में विवरण देंवे तथा सावधानी पूर्वक अच्छे से सभी प्रमाण पत्र संलग्न है उनकी जांच कर लें।
8. **आवेदन संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही किया जावे।**
9. **आवेदन पत्र निम्न पते पर रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से भेज सकते है–**

प्रति,

कलेक्टर सह अध्यक्ष
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी
सिविल कोर्ट के सामने, पुराना ग्रंथालय, धमतरी (छ0ग0)
पिन कोड 493773

28. विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्ते/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचनः–

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्ते महत्वपूर्ण निर्देश /जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा। प्रकाशन की त्रुटि के लिए जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉजेल सोसायटी जिम्मेदार नहीं होगी।

29. आवेदन करने की अंतिम तिथिः– 21.12.2015 को 5.30 बजे

(निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा)

कलेक्टर
एवं अध्यक्ष जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज
धमतरी (छ0ग

कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज, धमतरी

वेब साईट – www.splc.cgstate.gov.in, www.cgstate.gov.in, www.dhamtari.gov.in

---

हाल ही में खीचा हुआ रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो स्वयं से सत्यापित कर चस्पा करें।

आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम – ....

1. आवेदक का नाम – ....

2. पिता/पति का नाम – ....

3. जन्मतिथि अंकों में :– दिन......... माह.......... वर्ष.........

   आयु दिनांक 01.07.2015 की स्थिति में :– दिन......... माह.......... वर्ष.........

4. लिंग :– पुरूष ☐ महिला ☐

5. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है : हां ☐ नहीं ☐

6. जाति :– अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति ☐ पिछड़ा वर्ग ☐ सामान्य ☐

7. क्या आप निःशक्त है : हां ☐ नहीं ☐

8. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता का विवरण जो कि अनिवार्य अर्हता में चाहा गया है –

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	रिमार्क (यदि कोई है)
1	2	3	4	5	6	7	8

9. अनुभव का विवरण :–

(क) वर्तमान अथवा हाल ही के अनुभव को पहले दर्शाते हुए क्रमानुसार उससे पूर्व के अनुभवों को दर्शायें।

(Kindly mentions the experiences in descending order with respect to calendar.)

क्र.	नियोक्ता विभाग / आर्गनाईजेशन का नाम	संस्था / प्रतिष्ठान का नाम जहाॅ कार्य किया / कर रहे है	पदनाम	पद की प्रकृति (अस्थायी / स्थायी संविदा या अन्य)	मासिक वेतन (रू.में)	कार्यग्रहण अवधि दिनांक सहित	कुल अनुभव (माह में)
1	2	3	4	5	6	7	8

(ख) प्राप्त अनुभवों के संबंध में अधिकतम 100 शब्दों में विवरण आवेदन के साथ संलग्न करें।

(ग) नियोक्ता के संबंध में जानकारी

नियोक्ता विभाग / आर्गनाईजेशन का नाम	संस्थान / प्रतिष्ठान का नाम जहाॅ कार्य किया है या कर रहे है, का पूर्ण पता	दूरभाष क्रमांक एसटीडी कोड सहित / मोबाईल नं.	ई–मेल	अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5

टीपः– आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव की जाॅच कराई जायेगी, जाॅच में किसी भी प्रकार से गलत जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन अमान्य किया जायेगा तथा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, अतः असत्य जानकारी न दी जावे।

10. क्या आप आयु सीमा में छूट का दावा करते हैं यदि हां तो

1. कितने वर्ष की ....
2. कारण बतायें तथा प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति लगायें...

निम्न बिंदुओ की जानकारी हेतु उचित खाने में √ चिन्ह अंकित करें। यदि जानकारी हां मे है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

11. क्या आप भूतपूर्व सैनिक है ? हां ☐ नही ☐
12. पत्र व्यवहार का पता :– ....
:– ....
एसटीडी कोड ....लैंडलाईन नं...............
मोबाईल नं. ....ई–मेल............
जिला का नाम...पिन कोड

टीपः– आवेदक को पद की भर्ती प्रकिया से संबंधित जानकारी आवश्यकतानुसार पत्राचार/ई–मेल/SMS/के माध्यम से दिया जायेगा। अतः ध्यान पूर्वक ई–मेल एवं मोबाईल नंबर अंकित करें।

13. क्या आप शासकीय सेवा से छटनी किये गये है हां ☐ नही ☐
14. क्या आप अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन, योजनान्तर्गत पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नि हैं ? हां ☐ नही ☐
15. क्या आप विक्रम पुरस्कार विजेता है ? हां ☐ नही ☐
16. क्या आपके पास आवेदित पद के लिये शैक्षाणिक एवं तकनीकी योग्यताएं है ? हां ☐ नही ☐
17. रोजगार कार्यालय का नाम एवं :– ....
जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक सहित :– ....
18. विवाहित होने की स्थिति में विवाह की तिथि :– ....
19. विवाहित होने की स्थिाति में जीवित बच्चों की संख्या :– ....
20. अंतिम बच्चे की जन्मतिथि :– ....
21. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची सही √ करें:–

1. आयु के सत्यापन के संबंध मे 10वीं/अन्य की अंकसूची	हां	☐	नही	☐
2. अनुभव प्रमाण–पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)	हां	☐	नही	☐
3. शैक्षाणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र	हां	☐	नही	☐
4. छ.ग. का मूल निवास प्रमाण–पत्र	हां	☐	नही	☐
5. रोजगार पंजीयन प्रमाण–पत्र	हां	☐	नही	☐
6. स्थायी जाति प्रमाण–पत्र	हां	☐	नही	☐

7. अन्य ....
8. अन्य ....

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रमाण–पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं मैं आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता/योग्यता रखता/रखती हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाये जाने की दशा मे मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति निरस्त की जा सकती है तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक ....

स्थान ....

आवेदक का हस्ताक्षर
एवं पूरा स्थायी पता